संख्या- 02/2019/390/33-2-2019-252जी/17

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2- समस्त, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषय :प्रदेश की जिला पंचायतों की भूमि पर निर्मित कॉजी हाउसों की मरम्मत/अनुरक्षण कराते हुए इन्हें तत्काल संचालित कराने एवं आवारा/बेसहारा पशुओं को निरूद्ध किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 07/2018 / 2851/33-2-2018-252जी/17, दिनांक 02 अगस्त, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की जिला पंचायतों के अधीन संचालित कॉजी हाउस जो वर्तमान में मरम्मत/अक्रियाशील स्थिति में है, उन्हें जिला पंचायतों के संसाधनों से तत्काल ठीक कराने एवं उनमें चरही, शेड, भूसा, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर उनका शीघ्र संचालन कराने के निर्देश दिए गये थे, किन्तु इस संबंध में अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जिला पंचायतों के नियंत्रणाधीन कॉजी हाउसों के अनुरक्षण/मरम्मत की प्रगति अत्यन्त धीमी है, यह अत्यन्त खेदजनक है।

2- आप अवगत है कि प्रदेश में पशु अतिचार अधिनियम-1871 में उल्लिखित प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायतों के अधीन कॉजी हाउसों के संचालन की व्यवस्था की गई थी, ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के छुट्टा/आवारा/बेसहारा पशुओं से फसलों को नुकसान से बचाया जा सकें एवं पशुओं को एक स्थान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो सकें। वर्तमान समय में प्रदेश के आवारा/बेसहारा पशुओं/गोवंशों की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें निरूद्ध करने हेतु सुरक्षित स्थान व उनके चारा-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की जिला पंचायतों के अधीन संचालित 527 कॉजी हाउसों में से क्षतिग्रस्त/जीर्ण-शीर्ण कॉजी हाउसों की मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य दिनांक 15-02-2019 तक प्रत्येक दशा में जिला पंचायतों के संसाधनों से पूर्ण कराते हुए उसमें निरूद्ध होने वाले पशुओं के लिए चारा-भोजन, पानी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अपनी जिला पंचायत की प्रगति आख्या संलग्न प्रारूप पर प्रतिदिन पंचायती राज अनुभाग-2 के ई-मेल पर सांय 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके जनपद में नियम विरूद्ध ढंग से खुले में मांस की बिक्री की जा रही है, तो उसे भी पूर्णत: प्रतिबन्धित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या:02/2019/390(1)/33-2-2019, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक्, उ0प्र0, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बृज नन्दन लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक :-

कॉजी हाउसों के अनुरक्षण/मरम्मत से सम्बन्धित प्रगति प्रारूप

क्र0	जिला पंचायत का नाम	जिला पंचायत की भूमि पर वर्तमान में संचालित कॉजी हाउसों की संख्या	अनुरक्षण/मरम्मत हेतु चिन्हित कॉजी हाउसों की संख्या	अनुरक्षण/मरम्मत कराये जा चुके कॉजी हाउसों की संख्या	अनुरक्षण/मरम्मत हेतु अवशेष कॉजी हाउसों की संख्या	अद्यतन प्रगति (कालम-6 के सापेक्ष)	प्रगति प्रतिशत (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत ---------

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।